प्रकरण संख्या : 13/2015 राजस्व वाद

उनवान

1. श्री जेती देवी पत्नि मदनलाल सुवालाल निवासी नयाखेडा तह बनेडा जिला भीलवाडा।

— (वादी)

बनाम

1. रामचन्द्र पिता नाथु बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
2. लाल पिता नाथू बागरिया निवासी निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
3. कालू पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
4. रूपा पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
5. लक्ष्मण पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
6. नानी पुत्री नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
7. जडाव बेवा नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

—(प्रतिवादी गण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात</u>

उपस्थित –

1. श्री के0के0 जीनगर (अधिवक्ता वादी)

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 05.06.2015

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम ग्राम नयाखेडा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 162 आराजी नम्बर 179 रकबा 2 बीघा 17 बीस्वा आराजी 1980 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा आराजी नम्बर 1981 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा आराजी 1982 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा ,आराजी 1984 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 1985 रकबा 2 बीस्वा कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा आराजियात स्थित हैं। जिसमें वादीया का 5/12 हिस्सा दर्ज है।

यह है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार विभाजन करके मोके पर कब्जा काश्त करते चले आरहें है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में खाता सामलाती होने से कब्जा जमा कराने अपने हिस्से के खेतों की सीमाबन्दी करवाने ओर थोर बाड पेड पोधें आदि लगाने फसल काटने फसल ले जाने आदि के सम्बन्ध मे बोल चाल हो जाती है। ओर आपसी मनमुटाव बना रहता है। तथा प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्सें के खेतों का विकास करने के लिए भूमि सुधार का कोई कार्य करने आदी मे कठिनाईयों का सामना करना पडता है । इसलिए वादी या एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार आराजीयात खातेदारी मे दर्ज कराने से राहत महसुस करेगें । इसलिए इसके लिए वादीया ने प्रतिवादीगण को जुबानी तोर पर कहा कि तहसीलदार साहब के यहां चल कर आपसी सहमती से आराजीयात का बटवाडा करा देते है परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गयें और कहा कि जिनो आवश्यकता हो वह आराजियात का बटवाडा करा लेवें।

यह है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य सम्बन्ध बने रहे व किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो इसलिए वादपत्र की कलम संख्या 1 मे अंकित आराजीयात का मोके पर हक हिस्से व मिटस एण्ड बाउण्डस पर विभाजन करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद को राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 25.06.2015 को ग्राम रूपाहेलीखुर्द मे निस्तारण हेतु पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता वादी श्री के0के0 जीनगर द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण पर सहमति व्यक्त की। वादीगण राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जे को आधार मानते हुये अपनी सहमति प्रदान की। वाद मय आराजियात बटंवारा बाबत हैं एवं पक्षकारान भी सहमत होने से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जावे की ग्राम नयाखेडा तहसील बनेडा की खाता संख्या 162 आराजी नम्बर 179

बा 2 बीघा 17 बीस्वा आराजी 1980 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा आराजी नम्बर 1981 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा आराजी 1982 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा ,आराजी 1984 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 1985 रकबा 2 बीस्वा कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा आराजियात स्थित हैं। जिनमें वादीया का 5/12 हिस्सा दर्ज है, आराजियात की बहस वाद मे सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के खातेदार होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती हैं।

: : आदेश : :

दिनांक – 25.06.2015

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम नयाखेडा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 162 आराजी नम्बर 179 रकबा 2 बीघा 17 बीस्वा आराजी 1980 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा आराजी नम्बर 1981 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा आराजी 1982 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा आराजी 1984 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 1985 रकबा 2 बीस्वा कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा आराजियात स्थित हैं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के हक हिस्से अनुसार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 25.06.2015 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प कपासेलीखुर्द मे सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – संजय माथुर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2015 राजस्व वाद

उनवान

1. श्री जेती देवी पत्नि मदनलाल सुवालाल निवासी नयाखेडा तह बनेडा जिला भीलवाडा।

— (वादी)

बनाम

1. रामचन्द्र पिता नाथु बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
2. लाल पिता नाथू बागरिया निवासी निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
3. कालु पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
4. रूपा पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
5. लक्ष्मण पिता नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
6. नानी पुत्री नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
7. जड़ाव बेवा नाथू बागरिया निवासी नयाखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री के0के0 जीनगर (अधिवक्ता वादी)

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती हैं एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 162 आराजी नम्बर 179 रकबा 2 बीघा 17 बीस्वा आराजी 1980 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा आराजी नम्बर 1981 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा आराजी 1982 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा ,आराजी 1984 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 1985 रकबा 2 बीस्वा कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 18–21 की पालना करते हुए विभाजन सूची तैयार कर विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक 22-9-15 तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(संजय माथुर)

उपखण्ड अधिकारी,

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा